1 —

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/136
मुकदमा नम्बर 44/2024 दर्ज दिनांक-- 02.04.2024

सुरेन्द्र पुत्र नत्थूराम जाति नायक, निवासी चारां का बास तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
--आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
--अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री दीपेन्द्र सिह जाखड
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 18.06.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम चारां का बास पटवार हल्का परसरामपुरा खसरा नं. 3381 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सरेन्द्र पुत्र नत्थूराम के स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र नत्थूराम तथा किस्म बारानी तृतीय के स्थान पर आवासीय दर्ज करते हुये भूमि खसरा नं. 3381 का कम्प्युटराईज्ड राजस्व नक्शा दुरूस्त कर खसरा नं. 3381 को गै.मु. सडक 3680/3381 के दक्षिण में स्थित रकबा 0.14895 की भूमि को गै.मु. सडक खसरा नं. 3680/3381 के नक्शें से हटाया जाकर अलग नक्शा व खसरा नं. अंकन किये जाने का आदेश किया जावे तथा आवश्यक दुरूस्ती हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक 2072 दिनांक 11/06/2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रा. पत्र में चाहा गया संशोधन मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट अनुसार किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ ग्राम चारां का बास पटवार हल्का परसरामपुरा खसरा नं. 3381 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सरेन्द्र पुत्र नत्थूराम के स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र नत्थूराम तथा किस्म बारानी तृतीय के स्थान पर आवासीय दर्ज करते हुये, मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ व फर्द रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अम्लदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

Scanned with CamScanner